<u>माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 31 जुलाई, 2020 को सायं 5.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त</u>

बैठक मेंविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार............. **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा <u>Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19दिनांक 23.03.2020और 13.04.2020*में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन</u>

<u>आइटम न. 1:पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार परकैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा</u>

महानिदेशक (जेल) के दिनांक 28.07.2020 के पत्र द्वारा जेल कैदियों और जेल स्टॉफ के कोविड–19 पॉजिटिव केसों के विषय में ताजा मिली जानकारी को जानकर अध्यक्ष ने इस पर चिंता व्यक्त की औरमहानिदेशक (जेल) तथा जेल प्रशासन के द्वाराइस स्थिति से निपटने और जेल परिसर में संक्रमण में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विषय में पूछा।

श्री संदीप गोयल,महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल प्रशासन समिति की पहले की बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों**का गहनता से पालन कर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप वे **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सक्रिय केसों** को नीचे लाने की स्थिति में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को अवगत कराया कि इस उनके द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के बावजूद **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)**जेल परिसर में प्रवेश कर गया लेकिन जेल प्रशासन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है और इससे लड़ने और इसके प्रसार को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 30.07. 2020 तक का **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सक्रिय केसों का संचयी डाटा इस प्रकार हैः**

जेल में बंद कैदी : **61**(**55** ठीक हुए, 02 की मृत्यु, 03 सक्रिय मामले, **01** जमानत पररिहा **जो कि वर्तमान में घर पर एकांतवास में है।**)

जेल स्टॉफः **165** (**143** ठीक हुए, **22** सक्रिय मामले)

पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि जेल परिसर में उपरोक्त वर्णित जेल कैदियों के **03** सक्रिय मामलों में से **02** में **लक्षण नही थे**उनको जेल परिसर में अलग से एकांत में रखा गया है, वहीं **01**को LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां वह स्वस्थ हो रहा हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि 1 कैदी **'M'** आयु 70 वर्ष दोषी होने के कारण मंडोली की जेल न. 14 में अपनी सजा काट रहा था। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि contact tracing के आधार पर उक्त कैदी का कोविड–19 टेस्ट किया गया और दिनांक 26.06.2020 को उसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई। उसी दिन उक्त कैदी में दिल से संबंधित लक्षण बैचेनी पैदा हुई और उसे DDU अस्पताल में रेफर कर दिया गया वहां से उसे LNJP अस्पताल में भेज दिया गया। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि कैदी के परिवार की प्रार्थना पर उसे (कस्टडी में) आकाश हेल्थ केयर अस्पताल, द्वारका भेज दिया गया जहसं दिनांक **04.07.2020** को उसकी मृत्यु हो गई।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उक्त **'M'** के संपर्क में संयोग से अथवा सीधे संपर्क में आए सभी कैदियों की contact tracing कर ली गई है और मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार उचित कार्यवाही की गई है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 20.06.2020 की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन **55 वर्ष से अधिक उम्र** के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे **प्रतिरक्षा में अक्षम न** हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार को रोकने के लिए आगे उठाए जाने वाले संभावित कदमों के विषय में विचार विमर्श किया। यह विचार किया गया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) जेल परिसर में केवल नए प्रवेशकों अथवा जेल

स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ एवं अन्य जेल परिसर में राशन या अन्य आवश्यक वस्तुएं देने के लिए जेल परिसर में प्रवेश करतें हैं, के माध्यम से प्रवेश कर सकता है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का **रैपिड टेस्ट कर रहें हैं।** उन्होने सूचित किया कि आज तक 165 जेल स्टॉफ कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उन्होने सूचित किया कि उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत पश्चात उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी गई और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा। वैसे उन सभी में **लक्षण नही** हैं।महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन सब की contact tracing कर ली गई थी और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened कर दिया गया था।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि 165 जेल स्टॉफ जो कि पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से 143 पहले ही ठीक हो गए थे। उन्होने अध्यक्ष को सूचित किया उनमें से केवल 22 सक्रिय केस हैं जो कि मुख्यतः घर में एकांत में हैं।

समिति के सदस्यों नेविचार विमर्श के पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को दोहराया कि नए प्रवेशकों को **अलगाव वार्ड** में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके। इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना होगा कि जेल स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ, रखरखाव स्टॉफ और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए परिसर में प्रवेश करने वाले भी आवश्यक सावधानी बरतें जिससे कि वे जेल परिसर के अंदर के कैदियों से सीधे संपर्क में नही आ सकें।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 02 और मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248 व्यक्तिगत सेल** (संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को **एकांत वार्ड** के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरूष कैदियोंके लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की आयु वाले नए कैदियोंके लिए **अलगाव वार्ड** के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में **अलगाव वार्ड** के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जेल न. 15 के व्यक्तिगत सेल अब पूरी तरह से भर गए हैं, महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि अंतिम बैठक में दिए गए सुझावों के आधार पर जेल प्रशासन के द्वारा जेल न. 07 के खाली वार्डों को **अलगाव वार्डो** के रूप में बनाया गया। इसके अतिरिक्त जेल न.1, जेल न. 04 और जेल न. 8/9 जो कि 21 वर्ष से अधिक आयु के नए प्रवेशकों के लिए बनाए गए **अलगाव वार्ड** हैं जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जाता है।

अध्यक्ष के द्वारा मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों के आबंटन के संबंध में प्रगति के विषय में पूछा जिसे दिनांक 20.06.2020 की बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर **अस्थायी जेल** कें रूप में परिवर्तित किया जाना था।

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से 12 टावर के आबंटन के लिए **पुख्ता प्रयास**किएहैं जिसमें प्रत्येक टावर में 30 फ्लैट हैं। प्रधान सचिव (गृह) समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की अधिसूचना न. 9/70/2020/HG/2427-2441 दिनांक 31.07.2020 के द्वारा कोविड–19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए अगले आदेश तक मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों को **अस्थायी जेल** घोषित कर दिया है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इन फ्लैटों को नए प्रवेशकों के लिए एकांत सुविधा के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इस अधिसूचना के द्वारा नए प्रवेशकों को आरंभिक 14 दिनों के लिए अलग रखने की समस्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की बहुत हद तक हल कर दी है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में क्रमशः अलग **एकांत वार्ड** में रखा जाएगा।

अध्यक्ष ने अंतिम बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार **आक्सीजन से सबंधित मशीनों**की खरीद के संबंध में पूछताछ की।महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने **आक्सीजन से सबंधित 04 मशीने** खरीदी हैं। जिनमें से दो तिहाड़ के जेल अस्पताल में और मंडोली और रोहिणी जेल परिसरों में स्थित दोनो अस्पतालों में एक– एक स्थापित की गई है।महानिदेशक (जेल) ने अंतिम बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर अध्यक्ष को यह सूचित किया कि उन्होने तिहाड़ और मंडोली जेल अस्पतालों में **रेपिड एंटीजन टेस्ट** की सुविधा आरंभ कर दी है जहां पर ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के टेस्ट किए जा रहें हैं।यह सूचित किया गया कि आज तक जेल परिसर के अंदर स्थित इन दोनो अस्पतालों में 56 कैदियों के टेस्ट किए जा चुकें हैं। महानिदेशक (जेल) ने**आश्वासन** दिया कि वे सुनिशचित करेंगे कि जेल अस्पतालों में उचित संख्या में आक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ–2 आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की नियमित रूप से आपूर्ति होती रहे और जेल अस्पतालों में ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के टेस्ट के लिए **रेपिड एंटीजन टेस्ट** की सुविधा जारी रहे।

महानिदेशक (जेल) नेअध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMRस्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम न. 2:जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम

जेल परिसर में**कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ के लिए रेपिड टेस्ट का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि वे उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहें हैं और कोविड–19 (कोरोना वायरस) कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होने बताया कि उपरोक्त सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी अपनाई जा रही हैं:–

(ए) जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ की **थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट** करवाना।

(बी) **कैदियों का बाहर के लोगों से मिलना बहुत कम** करना और इसके लिए कैदियों के जेल से बाहर जाने के साथ –2 बाहरी लोगों की जेल में आने पर पाबंदी लगाना।

(सी) किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर जेल स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, डाक्टरों और तकनीकी स्टॉफ के लिए **मेडिकल एकांत की सुविधा** प्रदान करना।

(डी) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मूल स्वच्छता के विषय में क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए इस संबंध में **निरंतर जागरूकता का प्रसार** स्टॉफ के बीच भी करना।

(ई) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ को राज्य से बाहर छुट्टी से लौटने के पश्चात **एकांत में रहने की सुविधा** भी प्रदान करना।

(एफ) जेल स्टॉफ, मेंटेंनेंस स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य किसी भी आवश्यक वस्तु की डिलीवरी के लिए जेलों में प्रवेश करने वाले सभी प्रवेशकों की कोविड–19 की स्क्रीनिंग के लिए मेडिकल स्टॉफ के द्वारा **एक विशेष चेकलिस्ट** तैयार करना।

(जी) जेल स्टॉफ, मेंटेंनेंस स्टॉफ, सुरक्षा स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य किसी भी आवश्यक वस्तु की डिलीवरी के लिए जेलों में प्रवेश करने के लिए **मास्क पहनना** अनिवार्य करना।

(एच) मेंटेंनेंस स्टॉफ के साथ–2 जेल कर्मचारियों को **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट प्रदान**करना और उन्हे अपने संबंधित कर्तव्यों के दौरान ही पहनने के लिए निर्देशित करना।

(आई) सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ–2 कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह करना।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

<u>आइटम नंबर 3:–जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा</u>

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक **23.03.2020** को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार **समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020, 05.05.2020, 18.05.2020** और **20.06.2020** को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक **W.P. (Criminal) No.779/2020** के आधार पर**व्यक्तिगत बांड** पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

दिनांक 28.7.2020 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	2901
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	310
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	1165
सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	63
दिनांक 28.07.2020 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी	4439

अंतरिम जमानतः

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज को फिर से शुरू करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के कार्यालय आदेश सं. 26/DHC/2020 दिनांक 30.07.2020 सहित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह फैसला लिया है कि विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत प्रदान करने की सिफारिशों को और अधिक लचीला नही बनाना है।

हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति द्वारा अपनी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों में आने वाले सभी विचाराधीन कैदी 45 दिन की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग के लिए डीएसएलएसए के **पैनल अधिवक्ताओं या निजी अधिवक्ताओं** के द्वारा अपना आवेदन 31 अगस्त, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत पर, **जेल अधीक्षक** को ओर से उसके कस्टडी अवधि के दौरान **अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र** प्राप्त होने के पश्चात ही, विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा को निर्देश दिया कि वे जिला न्यायाधीशों से अनुरोध करें कि वे सभी न्यायिक अधिकारियों को अवगत करायें कि यदि विचाराधीन कैदी उपरोक्त मानदंडो के साथ –2 पहले अपनाए गए मानदंडों के अंतर्गत आता है और कोर्ट उससे **संतुष्ट है** तो उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर उसे**व्यक्तिगत बांड** पर भी छोड़ा जा सकता है जिससे सरकार की **सामाजिक दूरी की नीति** का भी पालन किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020,05. 052020,18.05.2020 एवं 20.06.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही** करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

सजा की छूट :

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 28.03.2020 कीउच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल ने आदेश सं. F.9/63/2020 दिनांक 07.04.2020के द्वारा **पात्र दोषियों को सजा की छूट** प्रदान की है। उन्होने आगे सूचित किया कि कार्यालय आदेश के अनुसार आज तक **63 दोषियों** को सजा की छूट पर छोड़ा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश सं. F.9/63/2020/HG/2184 दिनांक 21.07.2020 में **दोषियों के छूट के लाभ देने का निर्देश** दिया गया है। जो कि **30 सितम्बर, 2020** तक इसके लिए पात्र हो जाएगे। महानिदेशक (जेल) ने बताया कि इस नए आदेश के आधार पर जगभग **32 दोषियों** को इसका लाभ मिलेगा और उन्हें रिहा किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की **सराहना** की।

आइटम नंबर 4:–दिनांक 20.06.2020 कीबैठक मेंलिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में जायजा

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 20.06.2020 की बैठक में उन्हें दिए गए आदेशानुसार उन्होने **दिनांक 21.06.2020** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था। उन्होने आगे सूचित किया कि उस पत्र में उन्होने समिति कि द्वारा की गई सिफारिशें माननीय रजिस्ट्रार जनरल को बताई जिसमें कहा गया कि उच्चाधिकार समिति के द्वारा इसकी पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर लगभग **2651 विचाराधीन कैदियों** को **अंतरिम जमानत** प्रदान की गई है। **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रसार के खतरे को देखते हुए इसे **बढ़ाए जाने की आवश्यकता है** क्योंकि अंतरिम जमानत की

समाप्ति के पश्चात आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों के जेल के अंदर आने से पूर्व रेपिड टेस्ट करवाए जाने की आवश्यकता है जो कि अभी तक उपलब्ध नही है।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number 3080/2020,*** titled ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."*** **दिनांक 22.06.2020** के आदेश में **अंतरिम जमानत**को आगे बढ़ा दिया अतः विचाराधीन कैदियों की **अंतरिम जमानत** को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से **45 दिनों के लिएआगे बढ़ा दिया**।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि**अंतरिम जमानत की बढ़ाई गई अवधि** के साथ–2 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत की अवधि समिति की दिनांक 20.06.2020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर(जिसमें **2901 विचाराधीन कैदी** आते हैं।)07 अगस्त, 2020 सेसमाप्त होने जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि महामारी की स्थिति अभी भी वैसी ही है, जैसी वो पहले थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था, अतः यह एक **खतरनाक प्रस्ताव** होगा यदि से **2901 विचाराधीन कैदी**, जिन्हें **45 दिनों** की **अंतरिम जमानत** प्रदान की गई थी, वे आत्मसमर्पण के पश्चात वापिस आतें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने प्रस्तावित किया कि इसको दृष्टि में रखते हुए इन **2901 विचाराधीन कैदियों** की **अंतरिम जमानत** की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध मेंमहानिदेशक (जेल) का**दिनांक 28.07.2020**का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस **विशेष पीठ** का गठन किया गया था जिस के **दिनांक 22.6.2020** आदेश के द्वारा अंतरिम जमानत को पहले बढ़ाया गया था वही अब **दिनांक 04.08.2020 के लिए सूचीबद्ध किया है।**

समिति ने विचार किया और आगे माना कि न्यायालय प्रणाली के सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए किसी निशचित तारीख की भविष्यवाणी करना इस समय संभव नही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी कोई निशचित नही है कि महामारी का खतरा कब कम होगा और **सामाजिक दूरी** की आवश्यकता नही रह जाएगी। समिति की यह राय है कि जिन**2901 विचाराधीन कैदियों** को अंतरिम जमानत प्रदान की गई है। उनकी अंतरिम जमानत की तिथि समाप्त होने से पूर्व उनकी संबंधित तिथि से **45 दिनों** के लिए और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार **सिफारिश** की जाएगी। सह स्पष्ट किया जाता है कि ये **2901 विचाराधीन कैदी** जिनकी सिफारिश की गई है वे हैं जो कि समिति की पिछली बैठकों में अभिलिखित मानदंडों में से किसी एक में आतें हैं इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी निजी अधिवक्ता अथवा डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के द्वारा दायर किया गया था।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन **सिफारिशों को** इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की 45 दिन की अवधि के लिए **सूचित करेगा।** महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचारधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे 8 सप्ताह के लिए बढ़ाने के संबंध में फीडबैक

श्री बी.एस.भल्ला, प्रधान सचिव, (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने अवगत कराया कि समिति के द्वारा उसकी पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए पात्र दोषियों की **आपातकालीन पैरोल** बढ़ाए जाने के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:

(ए) पात्र दोषियों की **आपातकालीन पैरोल** बढ़ाए जाने के संबंध में कार्यालयी **आदेश सं.F.18/191/2015-HG/2094-2100 दिनांक 07.07.2020,माननीय मंत्री (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को निर्देश दिया जाता है** कि उन सभी दोषियों को जिन्हें पहले आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया थ जो कि **31.07.2020** तक या उससे पहले समाप्त होने जा रहा है, **आपातकालीन पैरोल को आठ सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाए।**

(बी) पात्र दोषियों की **आपातकालीन पैरोल** बढ़ाए जाने के संबंध में कार्यालयी **आदेश सं.F.18/191/2015-HG/2366-2372 दिनांक 30.07.2020, माननीय मंत्री (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को निर्देश दिया जाता है** कि उन सभी दोषियों को जिन्हें पहले आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया थ जो कि **31.08.2020** तक या उससे पहले समाप्त होने जा रहा है, **आपातकालीन पैरोल को आठ सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाए।**

समिति इस **परिणाम से संतुष्ट**है।

आइटम नंबर 6:– प्राप्त रिप्रजेंटेशन पर विचार

(ए) श्री दीपक खेरवाल, कैदी, जेल न. 03 की ओर से दिनांक 22.05.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें समिति के दिनांक18.05.2020 के निर्णय के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में **दिनांक 22.05.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए, जो कि डाक के द्वारा जुलाई, 2020 के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त हुई। समिति के सदस्यों ने **रिप्रजेंटेशन** को ध्यानपूर्वक देखा और प्रार्थी के द्वारा वर्णित दिनांक 18.05.2020 की बैठक के कार्यवृत्त को भी ध्यानपूर्वक देखा। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी दीपक खेरवाल एक विचाराधीन कैदी है जो कि FIR No.8/2012 U/s 302/397 IPC, P.S. SwaroopNagar का आरोपी है और तिहाड़ की जेल न. 03 में 8 साल से बंद है।

यहां यह बताना उचित है कि इस समिति कर **दिनांक 18.05.2020** की बैठक में ***धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमे का सामना कर रहे विचाराधीन कैदी, जो कि दो वर्ष से अधिक से जेल में है और किसी अन्य मामलें मे संलिप्त नही हैं,*** को 45 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की सिफारिश की थी। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी इस एफआईआर में धारा 302 आईपीसी के अपराध के अतिरिक्त धारा 397 आईपीसी के अतिरिक्त अपराध में मुकदमे का सामना कर रहा है। समिति के सदस्यों ने दिनांक 18.05.2020 को अभिलिखित मानदंडों में जानबूझकर कुछ अपराधों जैसे डकैती, लूट, फिरौती के लिए अपहरण, को छोड़ दिया था। अतः दिनांक 18.05.2020 की बैठक के कार्यवृत्त में मानदंड लिखते समय आईपीसी की धारा के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त वर्ग/श्रेणी वर्णित नही किया था।

अतः इस प्रार्थी का केस उच्चाधिकार समिति की दिनांक **18.05.2020** की बैठक में अभिलिखित **मानदंडों में नही आता।** इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने समिति के समक्ष अंतरिम जमानत पर रिहा करने करने की प्रार्थना की है जो कि स्पष्ट रूप से **संघार्य नही** है क्योंकि यह समिति अपराध प्रक्रिया संहिता के अंर्तगत निर्दिष्ट **कोर्ट** नही है।

इन सभी को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह राय है कि रिप्रजेंटेशन **मेरिट पर नही है तदानुसार अस्वीकृत की जाती है। हालांकि** प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

(बी) **तिहाड़ की जेल न. 04 में बंद विदेशी कैदी की ओर से दिनांक रहित रिप्रजेंटेशन, जिसमें अंतरिम जमानत प्रदान करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी नागरिकों से संबंधित मामलों को भी समावेश करने की मांग की गई है।**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में एक **दिनांक रहित रिप्रजेंटेशन** लाए जिसमें तिहाड़ की जेल न. 04 में बंद विदेशी कैदीने अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी नागरिकों से संबंधित मामलों को भी समावेश करने की मांग की है।यद्यपि उस रिप्रजेंटेशन पर न तो तारीख है और न ही हस्ताक्षर, हालांकि समिति के सदस्यों ने फिर भी उसे मेरिट पर निरस्त करने के लिए ध्यानपूर्वक देखा।

रिप्रजेंटेशन का प्रभावी रूप से निबटारा करने के लिए समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***Suo Motu Petition(Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19*** में दिनांक 23.03.2020 के आदेश को ध्यानपूर्वक देखा जिसके अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था। उसे निम्न प्रकार से पढ़ा गयाः

> *"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशएक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें शामिल होंगे (1) राज्य विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (गृह/जेल), जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है (3) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो कि उचित हो। जैसे कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उन कैदियों को रिहा करने पर विचार करतें हैं जो कि अपराधी या अपराधों के लिए विचाराधीन है, जिनके लिए निर्धारित दंड 7*

साल या उससे कम है, दंड के साथ या दंड के बिनाऔर कैदी अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्षों के लिए अपराधी ठहराया हुआ है।

*यह स्पष्ट किया जाता है कि यह हम उच्चाधिकार समिति पर छोड़ देते है कि वह वर्ग/श्रेणीके कैदियों पर विचार करे, कि किसे छोड़ा जाना है जैसा कि ऊपर कहा गया है, **अपराध की प्रकृति, सजा के वर्ष, जिसके लिए उसे सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसका उस पर आरोप लगा है और वह मुकदमे का सामना कर रहा/रही है अथवा अन्य कोई उचित कारण जिसे समिति उचित समझती है।**"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.3.2020 के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि यह **आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के **दिनांक 13.04.2020** के निर्देश को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को **अनिवार्य रूप से** कैदियों को उनकी **जेलों से रिहा** किए जाने का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी वर्ग/श्रेणी का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए अधिकार के रूप में/ उसके वर्ग का सिफारिश में समावेश करने की मांग/दावा नही कर सकता।

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA /* दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर

रिहा करने के समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI/ED/NIA*/दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा गया। समिति ने पुनः विचार विमर्श के आधार पर विदेशी नागरिकों को भी **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित कारको** पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्य संतुष्टि** पद पहुंचने के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक **विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण** था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाए सभी कैदियों को नही। उपरोक्त आदेश का पालन **अक्षरतः न करके उसके पीछे छिपी भावना के अनुसार** करना है।

इन सभी को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह राय है कि रिप्रजेंटेशन **मेरिट पर नही** है तदानुसार **अस्वीकृत** की जाती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020, 05.05.2020 एवं 20.06.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित नही करेगी। जो विचाराधीन कैदी इन श्रेणियों में नही आतें हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

(सी) श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता की दिनांक 02.07.2020 की रिप्रजेंटेशन जिसमें जेल के कैदियों और दोषियों को उच्चाधिकार समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतिलिपियां हिन्दी भाषा में प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में **श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता** की **दिनांक 02.07.2020 रिप्रजेंटेशन**लाए।

समिति के सदस्यों ने रिप्रजेंटेशनको ध्यानपूर्वक देखा। सदस्य सचिव, कंवलजीत अरोड़ा ने समिति को अवगत करवाया कि समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के विषय में जेल में बंद कैदियों को पीएलवी और जेल में दौरा करने वाले अधिवक्ताओं के द्वारा **हिन्दी** में समय समय पर सूचित किया जाता है।

महानिदेशक (जेल) से प्रार्थना की गई थी कि वे जेल अधीक्षकों को निर्देश दें कि जब भी कोई जेल के कैदी मानदंडों की हिन्दी में अनुवादित मांगे तो उसे हिन्दी में प्रति प्रदान की जाए।

समिति के सदस्यों ने श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता के द्वारा दी गई रिप्रजेंटेशन को मेरिट पर पाया और यह निर्णय हुआ कि इस समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतिलिपियां जिसमें आज की बैठक के कार्यवृत्त भी सम्मिलित है**हिन्दी** भाषा मेंDSLSA की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

तदानुसाररिप्रजेंटेशनका **निबटारा किया** जाता है।

(डी) प्रार्थी दीपक कुमार उर्फ भूपेन्द्र कुमार उर्फ दीपू यादव पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद यादव का दिनांक 10.07.2020 का पैरोल प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में प्रार्थी दीपक कुमार उर्फ भूपेन्द्र कुमार उर्फ दीपू यादवकी ओर से राजवीर (मामा/मौसा एवं पीरोकर)द्वारा दायर **दिनांक 10.07.2020 का प्रार्थना पत्र** लाए।

समिति के सदस्यों ने प्रार्थना पत्र को ध्यानपूर्वक देखा जिसमें प्रार्थी **FIR No.59/2009**, **under Section 363/376/302/201 IPC**, P.S. Khayla का आरोपी है और 60 दिन की अवधि के लिए पैरोल की मांग कर रहा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और उसने कैद में 10 साल पूरे कर लिए हैं और उसका पिछला रिकार्ड बिल्कुल स्वच्छ रहा है।

रिप्रजेंटेशन को निबटारा करने के लिए अध्यक्ष ने पूछताछ की तब महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रार्थी के द्वारा दायर Criminal Appeal No.**1200/2012** को खारिज करते हुए निर्देश दिया था कि प्रार्थी की सजा की छूट के लिए विचार नही किया जा सकता जब तक कि वह वास्तव में 25 साल की कैद पूरा नही कर लेता। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टि में रखते हुए प्रार्थी **आपातकालीन पैरोल** पर विचार करने के लिए पात्र नही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि प्रार्थी ने पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष नियमित पैरोल के लिए आवेदन दिया हुआ है जिसके निबटारे के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है।

इसके फलस्वरूप वर्तमान आवेदन खारिज/निबटारा किया जाता है और निर्देश दिया जाता है महानिदेशक (जेल) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा मांगी गई रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर देंगे और उसके पश्चातनियमित पैरोल के लिए आवेदन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली शीध्र विचार कर सकती है।

(ई) **श्री राकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ताकी दिनांक 11.07.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए मानदंडों में धारा 467 आईपीसी से संबंधित मामलों को भी समावेश करने की मांग की गई है।**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में श्री राकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता की **दिनांक 11.07.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए जिसे ई–मेल के द्वारा भेजा गया जिसमें प्रार्थी ने समिति के द्वारा अपनाए गए मानदंडों में अपराध के अन्य वर्ग के समावेश की मांग की है।

समिति के सदस्यों ने इस **रिप्रजेंटेशन** को ध्यानपूर्वक पढ़ा और इसका निबटारा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **दिनांक 23.03.2020** की टिप्पणियों/ आदेश को ध्यानपूर्वक देखा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक देखने पर यह स्पष्ट होता है किउच्चाधिकार समिति का गठनकिया गया उसे यह **आंकने को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के **दिनांक 13.04.2020** के निर्देश को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को **अनिवार्य रूप से** कैदियों को उनकी **जेलों से रिहा** किए जाने का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी **वर्ग/श्रेणी** का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए **अधिकार के रूप में/** उसके वर्ग का सिफारिश में समावेश करने की मांग/दावा नही कर सकता।

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट**, एनडीपीएस**, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA /* दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA /* दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा गया। समिति ने पुनः विचार विमर्श के आधार पर विदेशी नागरिकों को भी **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित कारको** पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्य संतुष्टि** पद पहुंचने के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक **विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण** था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाए सभी कैदियों को नही। उपरोक्त आदेश का पालन **अक्षरतः न करके उसके पीछे छिपी भावना के अनुसार करना है।**

इन सभी को दृष्टि में रखते हुए समिति की यह राय है कि **रिप्रजेंटेशन मेरिट पर नही** है तदानुसार **अस्वीकृत की जाती है।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020, 05.05.2020 एवं 20.06.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित **नही करेगी**। जो विचाराधीन कैदी इन श्रेणियों में **नही आतें** हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी को अपने मुवक्किलके लिए संबंधित न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

(एफ) **श्री हर्षित वशिष्ट, अधिवक्ताकी दिनांक 29.07.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें दिनांक 18.05.2020 की बैठक में अपनाए गए निर्णयों के अनुसार पहले जारी निर्देशों के स्पष्टीकरण की मांग की गई है।**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में **श्री हर्षित वशिष्ट, अधिवक्ता** की दिनांक 29.07.2020 की **रिप्रजेंटेशन** लाए जिसमें प्रार्थी ने दिनांक 18.05.2020 की बैठक में अपनाए गए निर्णयों के अनुसार पहले जारी निर्देशों के स्पष्टीकरण की मांग कीहै।

समिति के सदस्यों ने दिनांक 18.05.2020 की बैठक में अंतरिम जमानत प्रदान करने की सिफारिश के लिए अपनाए गए मानदंडों को ध्यान से देखा। यह स्पष्ट है कि उक्त अभिलिखित मानदंडों में केवल उन्ही विचाराधीन कैदियों की सिफारिश के लिए कहा गया था जो कि धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत दो वर्ष से अधिक से जेल में हैं और मुकदमें का सामना कर रहें हैं तथा **"किसी अन्य केस में संलिप्त नही है।"** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19*** जिसके अंतर्गत उच्चाधिकार समिति का गठन हुआ था उसे इस प्रकार पढ़ा गयाः

> *"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशएक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें शामिल होंगे (1)राज्य विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (गृह/जेल), जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है (3) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो कि उचित हो। जैसे कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उन कैदियों को रिहा करने पर विचार करतें हैं जो कि अपराधी या अपराधों के लिए विचाराधीन है, जिनके लिए निर्धारित दंड 7 साल या उससे कम है, दंड के साथ या दंड के बिनाऔर कैदी अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्षों के लिए अपराधी ठहराया हुआ है।*
>
> *यह स्पष्ट किया जाता है कि यह हम उच्चाधिकार समिति पर छोड़ देते है कि वह वर्ग/श्रेणी के कैदियों पर विचार करे, कि किसे छोड़ा जाना है जैसा कि ऊपर कहा गया है,* ***अपराध की प्रकृति, सजा के वर्ष, जिसके लिए उसे सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसका उस पर आरोप लगा है और वह मुकदमे का सामना कर रहा/रही है अथवा अन्य कोई उचित कारण जिसे समिति उचित समझती है।****"*

(emphasis supplied)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.3.2020 के आदेश में दी गई टिप्पणियों/निर्देशों यह स्पष्ट होता है कि यह **आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के **दिनांक 13.04.2020** के निर्देश को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को **अनिवार्य रूप से** कैदियों को उनकी **जेलों से रिहा** किए जाने का निर्देश नही दिया गया है।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी वर्ग/श्रेणी का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए अधिकार के रूप में/ उसके वर्ग का सिफारिश में समावेश करने की मांग/दावा नही कर सकता।

इस समिति ने पहले की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 उपरोक्त जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के लिए आज मापदंड तय करने के दौरान, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए वह जेल में बंद हैं, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI/ED/NIA*/दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI/ED/NIA*/दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा गया। समिति ने पुनः विचार विमर्श के आधार पर विदेशी नागरिकों को भी **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित कारको** पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्य संतुष्टि** पद पहुंचने के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के

वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक **विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण** था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाए सभी कैदियों को नही। उपरोक्त आदेश का पालन अक्षरतः न करके उसके पीछे छिपी भावना के अनुसार करना है।

जैसा कि समिति ने पहले भी कहा था कि वह किसी व्यक्तिगत केस में अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता देखने के लिए नही बनाई गई थी बल्कि एक विशेष वर्ग/श्रेणी पर विचार करने के लिए उसके मानदंड अभिलिखित करने के लिए बनाई गई थी न कि किसी विशेष कैदी /बंदी के लिए।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा अपनाए गए मानदंड केवल अंतरिम जमानत की सिफारिश करने के लिए थे। जमानत के लिए दिए गए आवेदन पर जमानत प्रदान करने अथवा उसे खारिज करने का अंतिम विवेकाधिकार "**कोर्ट**" के पास है।

इस केस में रिप्रजेंटेशन सेयह स्पष्ट है कि प्रार्थी FIR No.181/2018,P.S. Mehrauli में न केवल धारा 302 IPCके अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए बल्कि वह धारा 307 IPC और धारा 27 आर्म्स एक्ट के अतिरिक्त अपराधों के लिए मुकदमें का सामना कर रहा है।

जमानत याचिका की **योग्यता/अयोग्यता** पर विचार करने वाले न्यायालय के द्वारा प्रत्येक केस के तथ्य तथा प्रार्थी की अन्य केसों में संलिप्तता के साथ –2 उनकी गंभीरता को भी देखा जाना चाहिए जो कि इस समिति के **दायरे से** परे हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020,18.4.2020, 05.05.2020 एवं 20.06.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित **नही करेगी।** जो विचाराधीन कैदी इन श्रेणियों में **नही आतें** हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

इसको दृष्टि में रखते हुए वर्तमान रिप्रजेंटेशन का **निबटारा** किया जाता है। प्रार्थी को संबंधित न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है जो कि जब भी दायर की जाएगी तो कानून के अनुसार उस पर मेरिट पर विचार किया जाएगा।

(जी) **श्री धनंजय, अधिवक्ताकीदिनांक 29.07.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें दिनांक 07.04.2020 की बैठक में अपनाए गए निर्णयों के अनुसार पहले जारी निर्देशों के स्पष्टीकरण की मांग की गई है।**

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव समिति के संज्ञान में **श्री धनंजय, अधिवक्ता** की दिनांक 29.07.2020 की **रिप्रजेंटेशन** लाए जिसमें प्रार्थी ने दिनांक 07.04.2020 की बैठक में अपनाए गए निर्णयों के अनुसार पहले जारी निर्देशों के स्पष्टीकरण की मांग कीहै।

समिति के सदस्यों ने उक्त रिप्रजेंटेशन को और दिनांक 07.04.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंडों को ध्यानपूर्वक देखा जो कि संबंधित था

> *"विचाराधीन कैदियों/रिमांड कैदियों (जो कि उनसे संबंधित है जिनकी चार्जशीट अभी दायर की जानी है।) जो कि 15 या अधिक दिनो से हिरासत में हैं और मुकदमें का सामना कर रहें हैं जिसमें निर्दिष्ट अधिक सजा 7 वर्ष या उससे कम ...."*

इस संबंध में **यह स्पष्ट किया जाता है** कि बैठक में अपनाए गए मानदंड जिसमें से एक दिनांक 07.04.2020 को अपनाया गया, इसमें सम्मिलित है, जो कि यहां उपरोक्त वर्णित हैं, वह **अभी भी मान्य** हैं और जेल का कोई भी कैदी जो कि इन मानदंडों के अंतर्गत आता है तो वह अंतरिम जमानत के लिए आवेदन अपने **निजी अधिवक्ता** या **DSLSA** के **पैनल अधिवक्ता** के माध्यम से दे सकता है।

तदानुसाररिप्रजेंटेशन का **निबटारा** किया जाता है।

समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए(DSLSA) को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त रिप्रजेंटेशन लगाने वाले प्रार्थियों को इस संबंध में उसके परिणाम की समस्त जानकारीप्रदान करें।

तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटम नंबर 7: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

(ए) सजा समीक्षा बोर्ड की मीटिंग

अध्यक्ष नेमहानिदेशक (जेल) और प्रधान सचिव (गृह) से दिनांक 20.06.2020 की अंतिम बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर **सजा समीक्षा बोर्ड** की मीटिंग के विषय में

पूछा प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि **सजा समीक्षा बोर्ड** की मीटिंग जो कि पहले दिनांक **16.06.2020** के लिए निर्धारित थी वह माननीय मंत्री जी जो कि उसके अध्यक्ष हैं, के अस्पताल में भर्ती होने के कारण नही हो पाई।

प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने आगे अवगत कराया कि माननीय मंत्री जी के स्वस्थ होने के पश्चात यह मीटिंग दिनांक 03.08.2020के लिए निर्धारित की गई थी। दिनांक 03.08.2020 को रक्षा बंधन होने के कारण **सजा समीक्षा बोर्ड** की उक्त मीटिंग अब **दिनांक 05.08.2020** के लिए पुनः निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) के साथ –2 प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा जिससे कि पात्र दोषियों पर आगामी बैठक में विचार किया जा सके और यदि स्वीकृत हो तो उन्हें जेल से रिहा किया जा सके ताकि जेल में भीड़ कम हो सके।

बैठक के **कार्यवृत्त का पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल
महानिदेशक (जेल)

श्री बी.एस. भल्ला
प्रधान सचिव (गृह)

कंवलजीत अरोड़ा
सदस्य सचिव
डीएसएलएसए

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,

कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 31.07.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए